

1. निविदा प्रक्रियाएं

- ई-बोली संगत प्रलेखों के साथ अपलोड की जानी चाहिए और आईआरईपीएस वेब साइट पर पहले से पंजीकृत निविदाकर्ता के पूर्व-अधिकृत कर्मियों के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए. डिजिटल हस्ताक्षर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रमाणन प्राधिकारी से प्राप्त "कंपनी के नाम के साथ श्रेणी IIIB" होना चाहिए.
- केवल वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक टेंडर बॉक्स में प्राप्त बोलियों पर ही विचार किया जाएगा.
- ई-अधिप्राप्ति प्रणाली उस ई-निविदा की समापन तिथि और समय के बाद किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देती है. इसलिए ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में किसी भी देरी/विलंबित ऑफर की कोई गुंजाइश नहीं है.
- निविदाकर्ता वेबसाइट पर उपलब्ध ई-टेंडर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
- ऐसे ई-टेंडरों के लिए पोस्ट/फैक्स या व्यक्तिगत रूप से भेजे गए कोई भी मैन्युअल ऑफर स्वीकार नहीं किए जाएंगे, भले ही ये फॉर्म के लेटर हेड पर जमा किए गए हों और समय पर प्राप्त हुए हों. संक्षेप में, ऐसे सभी मैन्युअल ऑफर अमान्य माने जाएंगे और बिना किसी विचार के अस्वीकार कर दिए जाएंगे.

बिलों का प्रसंस्करण (स्टॉक और गैर स्टॉक)

IREPS पर विक्रेताओं द्वारा ऑनलाइन बिल जमा करना है. "बिल सबमिशन यूटिलिटी" में आईआरईपीएस पर विक्रेता द्वारा प्रस्तुत डिजिटल हस्ताक्षरित बिल/पूरक बिल का उपयोग आईपीएस द्वारा रसीद चालान / रसीद नोट / निरीक्षण प्रमाणपत्र इत्यादि जैसे अन्य डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेजों के साथ, विक्रेताओं के बिल (सीओ-6) को पंजीकृत करने के लिए किया जाएगा. इसके बाद बिल भुगतान प्राधिकारी द्वारा बिल का भुगतान डिपो/परेषिती या आपूर्तिकर्ता से इसकी हार्ड कॉपी मंगाने पर जोर दिए बिना आईएमएमएस पर उपलब्ध डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बिल और रसीद चालान, आर/नोट, निरीक्षण प्रमाण पत्र इत्यादि के आधार पर आईपीएस के माध्यम से किया जाएगा. इसमें विक्रेता द्वारा चुने जाने वाले अग्रिम भुगतान और अंतिम भुगतान के बिल शामिल होंगे.

नोट: निविदा की सभी शर्तें जैसे सामान्य निविदा शर्तें, निविदाकर्ता को निर्देश, आईआरएस शर्तें और विशेष शर्तें www.ireps.gov.in पर उपलब्ध हैं.

आपूर्तिकर्ताओं को चेतावनी: आपूर्तिकर्ता अनधिकृत व्यक्तियों या अनधिकृत माध्यमों से प्राप्त द.म.रेलवे के क्रय आदेशों को स्वीकार न करें. न ही वे रेलवे की सामग्री को किसी अनधिकृत व्यक्ति को सौंपें. सामग्री सौंपने से पहले, व्यक्ति की पहचान और द.म.रेलवे प्रशासन से प्राप्त उचित प्राधिकार पत्र की जांच की जाए.